

उपखण्ड अधिकारी  
विशालगढ़ (अजमेर)

13-7-24 परावली आन राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प  
कोर्ट- विशालगढ़ में पेशतुर्ही जारी स्वयंउपण।  
चूंकि वादी का वाद जारी ये विद्रोल खारिज किया  
जा चुका है, इस कारण उक्त एकरण में कोई  
कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से जारी कागजपना-  
पर खारिज किया जाता है परावली फ़ैसल  
शुमार होकर नोवंबर से कम हो।

विशालगढ़

राजस्थ अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
विशालगढ़

ठयायिक अधिकारी  
राष्ट्रीय लोक अदालत  
विशालगढ़

